Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case ...... CO 45/2016 ...... Year ......

..... श्री रामलाल व अन्य ..... Versus ..... सरकार .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of
जवाब पेश किया 30/10/2025 अहलमद [illegible]	16/10/25 पत्रावली पेश। अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दि. 4.5.17 को प्रा.पत्र O16R6 सपठित 151 CPC का [illegible] पेश। किन्तु न तो [illegible] प्रार्थीगण को [illegible] हेतु [illegible] न्यायालय में [illegible] गया। विपक्षी वास्ते जवाब प्रा.पत्र O16R6 सपठित 151 CPC दिनांक 30/10/25 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	
30/10/2025 अहलमद जी नोट आदेश 1/11/2025	पत्रावली पेश। अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रा.पत्र O16R6 सपठित 151 CPC आज पेश नहीं हुआ। विपक्षी वास्ते आदेश हेतु प्रा.पत्र दिनांक 1.11.25 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	
	01-11-25 पत्रावली पेश। वकील वादी ने [illegible] करने हेतु अवसर चाहा। [illegible] वास्ते पेश होने [illegible] उचित / आदेश [illegible] 06-11-2025 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	

न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—अब्दुल सलाम व अन्य बनाम सरकार
किस्म— दीवानी मूल प्रकरण नंबर—45/16 कं.न.—194/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06-11-25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया जिसके संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई जिसका एतद्दारा निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि वादी की ओर से हस्तगत प्रकरण में दिनांक 21.06.1978 के बंटवारे की प्रमाणित प्रति पेश कर रखी है जिसमें भाई बंटवारा फारूख अली, शौकत अली, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफार, मुस्ताक, खलील अहमद, अब्दुल हफीज, अब्दुल सलाम के मध्य खान संख्या 137 व 171 के बंटवारे बाबत है जिसमें वादी के खान संख्या 137 आई हुई है। उक्त भाई बंटवारा की प्रमाणित प्रति वादी ने प्रतिलिपि शाखा मेड़ता से अब्दुल सलाम बनाम मुश्ताक संख्या 48/01 से प्राप्त की है व फर्म चौधरी मार्बल ट्रेडर्स बंटवारा भी दिनांक 21.06.1978 को लिखित निष्पादित की गई। भाई बंटवारा दिनांक 21.06.1978 की असल प्रति खलील अहमद, शब्बीर अहमद व अहमद अली के पास है। उक्त दोनो दस्तावेजात खान व फैक्ट्रियो से संबंधित है। उक्त दोनो दस्तावेज इनके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जो वाद से संबंधित है। उक्त दोनो दस्तावेजात को वादी अपने बयानो में प्रदर्शित कराना चाहता है जो वाद से संबंधित होकर वाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। उक्त दोनो दस्तावेजात को तलब किया जाना आवश्यक है अतः भाई बंटवारा दिनांक 21.06.1978	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस ... की ता... मे जारी
	इकरारनामा व लिखत दिनांक 21.06.1978 खलील अहमद, शब्बीर अहमद व अहमद अली से असल तलब किए जाने का निवेदन किया। उन्होने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:—	
	1- Saraswati Nayak & Ors. Vs Susen Nayak & Anr.	
	2017(4) Civil Court Cases 364(ORISSA)	
	C.M.P. No 1249/2015 Decided on 15-03-2017	
	उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी जिस दस्तावेजात पर वाद लाता है उस असल दस्तावेजात को वादी को आदेश 7 नियम 14(1) सीपीसी के तहत वाद पत्र के साथ पेश करना होता है और वाद पत्र पेश करते समय असल दस्तावेज नही होता है तो आदेश 7 नियम 14(2) सीपीसी के तहत वादी को वाद पत्र में कथन करना होता है और असल दस्तावेज किसके कब्जे में है, कथन करना होता है लेकिन वादी ने आदेश 7 नियम 14(1) व नियम 14(2) सीपीसी की पालना नही की है। वादीगण तृतीय पक्ष जो वाद में पक्षकार न होकर वादीगण की बिरादरी के मित्र है, के कब्जे में तथाकथित दस्तावेजात बताकर उनसे प्रस्तुत करवाना चाहते है लेकिन वादी या प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के द्वारा कोई दस्तावेजात पेश करना चाहते हो तो आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी या आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी के तहत अनुमति लेना आवश्यक है। वाद पत्र में दिनांक 28.08.2025 को प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में निवेदन अनुसार दोनो तथाकथित बंटवारा/इकरारनामा विलेख अपंजीकृत व अमुद्रांकित होने से व फर्जी अवैध तथा कपटपूर्वक कार्यवाहिया होने से साक्ष्य में ग्राह्य नही होते है। हस्तगत वाद सन् 2016 से लंबित होकर काफी समय से साक्ष्य वादी	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	में चल रहा है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत आपत्ति आवेदन व पेश दस्तावेजात व पूर्व वाद संख्या 48/01 की संलग्न पत्रावली से स्पष्ट है कि वादीगण जिस तथाकथित बंटवारा की प्रमाणित प्रति वाद संख्या 48/01 से लेना बता रहे है उस वाद में तथाकथित बंटवारा असल कभी पेश नही हुआ और प्रतिलिपि शाखा के लिपिक से मिलकर फोटोप्रति को गलत रूप से प्रमाणित करवाई है जिसका कोई साक्ष्यिक मूल्य नही है अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 21.06.1978 का भाई बंटवारा एवं दिनांक 21.06.1978 की लिखत को खलील अहमद, शब्बीर अहमद व अहमद अली से तलब किया जावे इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण जिन दस्तावेजात को जिन व्यक्तियो से तलब करवाना चाहते है वे वाद में पक्षकार भी नही है अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे इस संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 21.06.1978 को निष्पादित की गई लिखत में मुश्ताक अहमद, फारूख अली, खलील अहमद, अब्दुल हफीज व अब्दुल सलाम के मध्य फैक्ट्री की जमीन, मशीने, क्रेन, ऑफिस, छत वगैरा के बाबत बंटवारा है तथा उक्त बंटवारे में वर्णित उपरोक्त सम्पति बाबत वादीगण द्वारा वाद पत्र में अनुतोष नही चाहा है जिससे उक्त दिनांकित लिखत को तलब किया जाना **न्यायोचित प्रतीत नही होता** है।	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
[illegible], जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख आहका इस की मे जा
	जहां तक वादीगण द्वारा दिनांक 21.06.1978 को निष्पादित भाई बंटवारे के दस्तावेज को तलब किए जाने का प्रश्न है इस संबंध में उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट है कि उक्त दस्तावेज में खान संख्या 137 व 171 के बंटवारे के संबंध में अंकन है। न्यायालय द्वारा वाद पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण ने खान संख्या 137 के संबंध में वाद पत्र पेश कर खान के आधे हिस्सेका लाईसेंसी घोषित करने के संबंध में अनुतोष चाहा है। वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट है कि वादीगण ने जिस दस्तावेज का उल्लेख किया है और जिस पर वादी का प्रथम दृष्टया दावा निर्भर करता है वह दस्तावेज किसके कब्जे में था इस बावत वाद पत्र में अंकन नही है **इस संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 14(2) सीपीसी का अध्ययन किया गया जिसके अनुसारः–** जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नही है वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में उक्त दस्तावेज भाई बंटवारा किसके कब्जे में होने अथवा आदेश 7 नियम 14(2) सीपीसी के बावत कोई अंकन नही किया है। साथ ही भाई बंटवारे के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त भाई बंटवारा स्टाम्पित नही है और रजिस्टर्ड भी नही है तथा उक्त भाई बंटवारा खान का बंटवारा है जिस बावत वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। **न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के**	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

संबंध में आदेश 16 नियम 6 सीपीसी का अध्ययन किया गया जिसके अनुसारः–

कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया जा सकेगा और केवल दस्तावेज पेश करने के लिए ही समनित कोई व्यक्ति, यदि उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बदले ऐसी दस्तावेज को पेश करवा देता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है।

हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा आदेश 16 नियम 6 सीपीसी के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से पक्षकारान फारूख अली, शौकत अली, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफार, मुस्ताक, खलील अहमद, अब्दुल हफीज, अब्दुल सलाम के मध्य हुए बंटवारे बाबत जो दस्तावेज चाहे है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहे दस्तावेजात बाबत अपने वाद पत्र में किसके कब्जे या शक्ति में होना अथवा आदेश 7 नियम 14(2) सीपीसी के बाबत कोई अंकन नही किया है। साथ ही वादीगण ने आदेश 16 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी के मध्य से जिस दस्तावेज को तलब कराना चाहा है। उक्त दस्तावेज खान के बंटवारे बाबत है। विधि अनुसार खान एक सरकारी संपति है और उक्त बंटवारे का दस्तावेज स्टाम्पित व रजिस्टड नही है। बंटवारे के दस्तावेज के संबंध में विधि का आज्ञापक प्रावधान है कि बंटवारे का दस्तावेज स्टाम्पित व रजिस्टर्ड होना आवश्यक है चूंकि उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड व स्टाम्पित नही है अतः इस कारण से उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नही है अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को तलब किया जाता है तो वाद में विलंब होगा और वाद

एवं सेशन न्यायाधीश
जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहका इस की में जा
	में पेचिदगियां बढेगी एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में चस्पा नही होते है अतः उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते भाई वंटवारा दिनांक 21.06.1978 (खाना) को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है और वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2025 को पेश हो। Ajay Choudhary अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	